

भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध



354-ए यौन शोषण

किसी के द्वाया जबरदस्ती यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए दबाव बनाना या आग्रह करना, मौखिक या शारीरिक रूप में यौन व्यवहार को उजागर करना, अश्लील चित्रों व फिल्मों को दिखाना या यौन संबंधी बातें करना।

354-बी छेड़-छाड़



स्त्री की मर्यादा और सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती करना।



354-सी ताक - झाँक करना

किसी महिला को उसकी मर्जी के बगैर छिप कर देखना, उसकी फोटो लेना या उस फोटो का गलत प्रयोग करना।

354-डी

पीछा करना



महिला द्वाया स्पष्ट मना करने के बावजूद लगातार उस महिला से बातचीत करने के लिए संपर्क करना, उसका पीछा करना या उस पर इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे किसी भी तरीके से निगरानी करना।



509

अपमान

किसी महिला की गरिमा और सम्मान को छोट पहुंचाने के लिए शब्दों और इशारों का इस्तेमाल करना।